14 5/18

पत्रावली आज हेतु कोई अवलोकन में पेश हुई। प्रकरण से संबंधित वाद पत्र का निर्णय हो चुका है प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की कार्यवाही इसी स्तर पर खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner